निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 63 / 2025
दायरा दिनांकः–16.07.2025
निर्णय दिनांकः– 16.09.2025

उनवान

1. गायत्रीबाई आयु 37 वर्ष पत्नि कालूराम जाति मीना निवासी ग्राम घट्टा तहसील छबडा जिला बारां ।
2. नमस्ती मीना आयु 18 वर्ष पुत्री कालूराम जाति मीना निवासी ग्राम घट्टा तहसील छबडा जिला बारां।

..........प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–16.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम घट्टा तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 54 की खसरा नं 102 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा नं 240 रकबा 1.9981 हेक्टेयर, खसरा नं 344 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं 52 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, कुल किता 4 की रकबा 2.3396 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीयान का हिस्सा 1/4–1/4 स्थित है। जो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में चला आ रहा है। प्रार्थीयान उक्त वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षो से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमियात का प्रार्थीयान के पिता/पति कालूराम का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से इंतकाल में गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम के स्थान पर घर में बोलता नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीयान का वास्तविक नाम गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम है। जिसे दूरस्तीकरण किया जाकर गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीयान के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में प्रार्थीयान का नाम गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम ही दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

प्रार्थीयान की उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीयान उक्त वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर ट्यूबवेल लगाकर तार फैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहती है परन्तु प्रार्थीयान के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थीयान दिनांक 30.06.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गयी तो उसे हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई। अतः निवेदन है कि प्रार्थीयान की उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीयान का नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम के नाम का दूरस्तीकरण किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि0 है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम घट्टा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 54 पेश की गई। फोटो प्रति खसरा नक्शा, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 खाता संख्या 54, फोटो प्रति आधार कार्ड गायत्री बाई एवं नमस्ती मीना, फोटो प्रति जनआधार कार्ड, फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नमस्ती मीना, फोटो प्रति राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम घट्टा तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 54 रकबा 2.3396 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीयान का हिस्सा 1/4–1/4 स्थित है। प्रार्थीयान उक्त वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षो से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमियात का प्रार्थीयान के पिता/पति कालूराम का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से इंतकाल में गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम के स्थान पर घर में बोलता नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीयान का वास्तविक नाम गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम है। प्रार्थीयान के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में प्रार्थीयान का नाम गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम ही दर्ज है। प्रार्थीयान की उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ, फसल मुआवजा राशि एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीयान की उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीयान का नाम गायत्री बाई पत्नि काल्या व नीलू पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्रीबाई पत्नि कालूराम व नमस्ती मीना पुत्री कालूराम के नाम का दूरस्तीकरण किये जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम घट्टा पटवार मण्डल भीलवाडा नीचा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता सं. 54 किता 4 रकबा 2.3396 है. मे गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

नीलूबाई पुत्री काल्या जाति मीना दर्ज है। जबकि प्रार्थीगणों के अन्य दस्तावेजो मे गायत्रीबाई पत्नि स्व. कालूराम, नमस्ती मीना पुत्री कालूराम है। ग्रामवासियान व मौके अनुसार गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या, नीलूबाई पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्री बाई पत्नि कालूराम, नमस्ती मीना पुत्री कालूराम किया जाना उचित है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम घट्टा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 54 में गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या हिस्सा 1/4 जाति मीना सा. देह खातेदार, नाबालिग नीलूबाई पुत्री काल्या सरंक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/4 जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज है। फोटो प्रति आधार कार्ड में प्रार्थीयान के नाम गायत्री बाई पत्नि कालूराम एवं नमस्ती मीना आत्मज कालूराम दर्ज है। जनआधार कार्ड मे गायत्री बाई एवं नमस्ती मीना दर्ज है। फोटोप्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वर्ष 2023 में नमस्ती मीना, पिता कालू राम, माता गायत्री दर्ज है। फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड मे गायत्री बाई पति का नाम कालूराम दर्ज है। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह साबित होता है कि प्रार्थीयान का नाम अन्य दस्तावेजों में गायत्री बाई पत्नि कालूराम एवं नमस्ती मीना पुत्री कालूराम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या एवं नीलूबाई पुत्री काल्या दर्ज है। तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थीयान का नाम गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या, नीलूबाई पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्री बाई पत्नि कालूराम, नमस्ती मीना पुत्री कालूराम किया जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीयान का नाम गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या, नीलूबाई पुत्री काल्या के स्थान पर गायत्री बाई पत्नि कालूराम, नमस्ती मीना उर्फ नीलूबाई पुत्री कालूराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम घट्टा तहसील छबडा के खाता संख्या 54 में गायत्रीबाई पत्नि स्व. काल्या, नीलूबाई पुत्री काल्या के स्थान पर क्रमशः गायत्री बाई पत्नि कालूराम, नमस्ती मीना उर्फ नीलूबाई पुत्री कालूराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)